



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबो-26 / 2018-**1180** दिनांक : 18/9/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/  
दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/  
सिमडेगा वन प्रमण्डल/ सारण्डा वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्वर ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु रु0 **1381.986** (तेरह करोड़ एकासी लाख अनठानवे हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबो-38 / 2018-18 / स्वी0 व0प0 दिनांक 27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-38 / 2018-65 / आ0 व0प0 दिनांक 03.08.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 **1381.986** (तेरह करोड़ एकासी लाख अनठानवे हजार छ: सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	887.089
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	494.897
कुल :-		<b>1381.986</b>

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय



प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आता हैं एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्य से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेक्टेएक्ट लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संर्वद्वन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन

योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासमाजन,

प्रधान मुख्य बच संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-26 / 2018- 1180 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य बच संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ बच संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ चाईबासा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य बच संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-26 / 2018- 1180 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ पाकुड़/ दुमका/ साहेबगंज/ गुमला/ सिमडेगा/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य बच संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रो सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठ)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14

## दुमका रीजन

1	जामताडा वन प्रमण्डल	300	71.214	39.729	110.943
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल	600	142.428	79.459	221.887
3	दुमका वन प्रमण्डल	800	189.904	105.945	295.849
4	साहेबगंज वन प्रमण्डल	464	110.144	61.448	171.592
योग:-		2164	513.690	286.581	800.271


## राँची रीजन

1	गुमला वन प्रमण्डल	373	88.543	49.397	137.940
2	सिमडेगा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		773	183.495	102.370	285.865

## जमशेदपुर रीजन

1	सारण्डा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
2	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		800	189.904	105.946	295.850
सकल योग:-		3737	887.089	494.897	1381.986

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,  
झारखण्ड, राँची



योजना का नाम : सिल्विकल्फरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण  
 (Open Forest (10-40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 237.38

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेठो	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर बन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रैच / पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रैच घेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हेठो औसतन 6 चेन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हेठो ट्रैच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य ( $0.45 \text{ मी.} \times 0.45 \text{ मी.} \times 0.45 \text{ मी.}$ ) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंटूर ट्रैच — अधिकतम 50 कंटूर, साईज 5 मी. $\times$ 0.45 मी. $\times$ 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोङ्नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हेठो	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थानीय पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
8	वनों की सुरक्षा		2.00	474.76	0.00	474.76	
	योग—		100.00	23738.00	13243.14	36981.14	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कायांचित की जाने वाली "सिल्वीकल्यारल ऑपरेशन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं मू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठल वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमणल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	आना/ सं०	जी०पी०एस० को-आॅडिनेट	प्लॉट नंबर	दोत्रफल (हेठल में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
दुमका योजना:-									
1	जामताडा वन प्रमणल	कुण्डहित	बोगियारा	कुण्डहित- 4	N 24° 02.624" E 087° 07.542"	1034, 260, 725, 708, 1087		50	
		गायसारा	कुण्डहित-19	N 24° 02.462" E 087° 07.331"	3, 54, 596, 602		50		
		मुदाबेड़िया	बागडेहरी- 34	N 23° 51.11" E 087° 14.7"	31 / प, 263, 264, 1682, 1749, 1778, 1916, 1973, 1993, 1996, 2034, 2070, 2051, 2063, 2135, 2173		70		
			पथराबाद	N 24° 05.264" E 087° 05.323"	1, 2, 3, 20, 48, 49, 51		20		
		फतेहपुर	बोराबाद	N 24° 68.395" E 087° 09.389"	5, 226, 592, 793		25		
			आसनबेड़िया	N 24° 03.816" E 087° 02.189"	398, 460, 618, 763, 765, 1186, 1201, 1204, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1264, 1271		25		
			मकरन्दा	N 24° 00.355" E 087° 05.620"	847, 893, 697, 798		30		
		नाला	नाला	बडारामपुर	न 23° 49.777" E 087° 05.552"	1, 228, 444, 526, 608		30	
					योग:-			300	
2	पाकुड़ वन प्रमणल	हिरण्यपुर वन प्रक्षेत्र	हिरण्यपुर	दलदली	हिरण्यपुर- 81	814, 812, 643, 1097		10	
		लिटटीपाड़ा		सुगाड़ीह	हिरण्यपुर- 29	273		17	
				रणबहियार	लिटटीपाड़ा- 19	118, 42, 304, 270		20	



क्र० सं	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	खल का नाम	थाना / थाना सं	जी0पी0एस0 को—आँडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
				जोरड़ीहा	सिमलौंग-01		808, 531, 522, 515	60	
			बांसभीट्टा	सिमलौंग- 08			207	13	
			अमरभीट्टा	सिमलौंग- 07			104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117	70	
			छोटाधधरी	सिमलौंग- 19			494, 503, 500, 109, 7	35	
			बेहडा	सिमलौंग- 18			90	50	
			उमरु	सिमलौंग- 23			4, 30, 157, 148, 191, 53, 420, 402, 454, 425	25	
	आमड़ापाड़ा	आमड़ापाड़ा	अमीरजोला	आमड़ापाड़ा— 14		1		35	
			बड़ाबीधकोई	आलूबेड़ा — 07			204, 198, 199	85	
			जराकी	आमड़ापाड़ा— 11			28, 06, 615, 824, 860, 1304, 555, 829	50	
			पकलो	डुमरयीर— 20			401, 402, 183, 390, 396	30	
			पचुवाडा	आलूबेड़ा — 31			1206, 911	100	
								600	
3	दुमका वन प्रमङ्गल	हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका	रानेश्वर	भूसकीपहाड़ी आलूबेड़ा	धनवासा— 21 धनवासा— 25		72, 102, 370, 556, 719, 981, 1219 281, 378	60 70	
				शिकरीपाड़ा	हिरापुर— चित्राकुण्डी हिरापुर— चित्राकुण्डी		बाँसपहाड़ी— 13	8, 28, 659	70
			दुमका	चिरुडीह	मसानजोर— 31			719	40
	दुमका दमिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	काठीकुण्ड	आसनपहाड़ी गन्धर्व	काठीकुण्ड— 21 काठीकुण्ड— 24			335 /P, 370, 497 2, 667 / P	25 21	
				गडियापानी	गोपीकान्दर— 15		661	12	
			गोपीकान्दर	भुसकीड़गाल	गोपीकान्दर— 14		240, 329	13	
			दुबराजपुर	दुबराजपुर	गोपीकान्दर— 12		4, 172, 215, 101, 124, 168	30	
			कटवीडगाल	गोपीकान्दर— 11			25	25	
			झरियापानी	गोपीकान्दर— 09			53	35	



क्र० सं०	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / सं०	जीोफोइसो को—ऑडिनेट	लॉट नंबर	दो त्रफल (हे० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
				चिचरो	सलदाहा— 12			2, 361, 402, 272	50
				काठीकुण्ड	सलदाहा— 15			635, 637	29
					मझाला सलुवापानी	नारांज— 55		48, 56, 152, 221 / p, 280 / p, 321 / p	70
				मसलिया	जामबाद	सपचला— 04		5, 222, 187, 129, 298, 422, 441, 451,	125
					फुटवेरिया	गोडमाला— 28		3, 84, 100, 163, 355, 434, 442, 499,	125
					योग:-				800
4	साहेबांज वन प्रमङ्गल	बडहरवा, दामिन प्रक्षेत्र, बडहरवा	बरहेट		बडा दलदली	बरहेट— 46		1157, 1149	20
		सकरेगढ़ दामिन प्रक्षेत्र, साहेबांज	बोरिया		बडा चौदवासी	बोरियो— 45		222 / पी०	120
		माण्डरो दामिन प्रक्षेत्र, माण्डरो	बोरिया		बिरबलकान्दर	बोरियो— 24		229, 254, 346	100
		राजमहल दामिन प्रक्षेत्र, तालझारी	माण्डरो		जिकिकभीठा	माण्डरो— 36		65, 112, 122, 154, 192	25
			माण्डरो		पहाडपुर	माण्डरो— 01		01, 123, 289	50
					सुगनी पहाड	माण्डरो— 34		24, 83, 89, 121, 139	25
					तालझारी	फुलजोरी		100, 30, 62	85
					तालझारी	वृन्दावन— 15		12, 96, 99, 107, 112, 115, 118, 119, 125, 163	39
					चमदी पहाड				464
					योग:-				2164
					दुमका रीजन का योग :-				
राँची रीजन:-									
2	गुमला घन प्रमङ्गल	गुमला प्रक्षेत्र			पहाडगांव	सिसई— 141	N22° 05'52" E084° 52'31"	130, 2060, 2054, 2055, 284, 165, 2056, 60, 195, 24, 1, 204	50
						लोणडरा	N23° 06'37" E084° 51'31"	1937, 1941, 1985, 1940, 2059, 2061, 2060, 1988, 1989, 1990, 2012, 2055,	80
						बन्धियारी	N22° 50'58" E084° 50'57"		75



क्र० सं	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PR/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०ए० स० को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
<b>जमशेदपुर ईजन:-</b>									
1	सारण्डा वन प्रमङ्गल,	सामता प्रक्षेत्र			सामता आर०ए०फ०-१२, १३	मनोहरपुर- ५८			100
	चाईबासा	कोयना प्रक्षेत्र			धोबिल पी०ए०फ०- २३	मनोहरपुर- ३५			100
					रबंगदा पी०ए०फ०- ११	मनोहरपुर- ६५			100
		गुवा प्रक्षेत्र			घाटकुड़ी आर०ए०फ०- ३०				100
<b>योग:-</b>									
2	सोंगरा	बन्दगाँव			सोंगरा- २२	टेबो			50
	केरा	बन्दगाँव			रेजडाकोचा	चक्रधरपुर / ६४			50
	केरा	चक्रधरपुर			बाणीजाहिर	चक्रधरपुर ४१४			50
	पोड़ाहाट वन प्रमङ्गल	कुरुकुल	सोनुवा		वेरा- ३३ आर०ए०फ०	सोनुवा			50
		वेरा	गोईलकेरा		वेरा- ३६	गोईलकेरा			50
		वेरा	गुदडी		वेरा- १६	गोईलकेरा			50
		आनन्दपुर	मनाहरपुर		धानापाली	मनोहरपुर- १०२			50
		आनन्दपुर	मनाहरपुर		समीज	मनोहरपुर- १६४			50
<b>योग:-</b>									
<b>जमशेदपुर ईजन का योग :-</b>									
<b>कुल योग :-</b>									
<b>400</b>									
<b>जमशेदपुर ईजन का योग :-</b>									
<b>कुल योग :-</b>									
<b>400</b>									
<b>800</b>									
<b>3737</b>									

प्रधान मुख्य पन सुरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दशीए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2018/1180

दिनांक -

18-Sep-2


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56429	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	7,121,400.00 रुपये इकडल्टर लाख इक्कीस हजार चार सौ
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56430	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	14,242,800.00 रुपये एक करोड बयालीस लाख बयालीम हजार आठ सौ
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56431	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	18,990,400.00 रुपये एक करोड नवासी लाख नब्बे हजार चार सौ
योग:				40,354,600.00
क्रमिक योग:				

रुपये चार करोड तीन लाख ढीपन हजार छ: सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF (DADHIKARHANSI) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56432	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	11,014,400.00 रुपये एक करोड दस लाख चौदह हजार चार सौ
5	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56433	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	8,854,300.00 रुपये अठ्यासी लाख चौपन हजार तीन सौ
6	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56434	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिंचानवे हजार दो सौ
<hr/>				
योग:				29,363,900.00
क्रमिक योग:	रुपये छ: करोड सिल्लानवे लाख अठारह हजार पाँच सौ			69,718,500.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF DIBDARHAKALESIRANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56435	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
8	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56436	SGHFOR003 SRI SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
9	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56437	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	3,972,900.00 रुपये उनचालीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ
<hr/>				
योग:				22,963,300.00
क्रमिक योग:	रुपये नौ करोड छब्बीस लाख इक्कमासी हजार आठ सौ			92,681,800.00
 (SHRI SATNAM SINGH PCCF(DIVISIONAL H.R.) RANCHI				

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56438	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	7,945,900.00 रुपये उन्नासी लाख पेतालीस हजार नौ सौ
11	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56439	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	10,594,500.00 रुपये एक करोड़ पाँच लाख चौहानवे हजार पाँच सौ
12	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56440	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF SAHIBG NJ	6,144,800.00 रुपये इक्सठ लाख च्यालीस हजार आठ सौ

योग:

24,685,200.00


क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड़ तीनलाख लाख सठसठ हजार


117,367,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)  
PCCF,DADHANGAHS(RANCHI)  
18/9/18

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56441	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	4,939,700.00 रुपये उनचास लाख उनचालीस हजार सात सौ
14	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56442	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
15	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56443	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
<hr/>				
योग:				
क्रमिक योग:				
<hr/>				
रुपये तेरह करोड उन्तीस लाख एक हजार तीन सौ				
<hr/>				
15,534,300.00				
<hr/>				
132,901,300.00				
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF(D)(BHADRAK NAMDEO) RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796400323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56444	SGHFOR003  SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	5,297,300.00  रुपये बाबन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ




योग:

5,297,300.00

क्रमिक योग:

रुपये तेरह करोड इक्काहासी लाख अठानवे हजार छ: सौ

138,198,600.00

  
 (SHRI SATNAM SINGH)  
 PCCF DIBDHARKHANS(RANCHI)